प्रेस विज्ञप्ति

17.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 16.07.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विनोद तन्ना और उनकी पत्नी की इंग्लैंड (यूके) स्थित अचल संपत्ति कुर्क की है। पीएमएलए जांच से पता चला है कि कुर्क की गई संपत्ति, भूमि और भवन के रूप में, जयेश तन्ना द्वारा वर्ष 2017 (अपराध अवधि के दौरान) में 2.07 लाख पाउंड की अपराध की आय को यूके में स्थानांतरित करके अर्जित की गई थी, जो मामले में वास्तविक निवेशकों/फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी/जालसाजी करके अर्जित की गई थी।

ईडी ने 2024 में मुंबई पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत जयेश तन्ना, दीप तन्ना (साई समूह की संस्थाओं के प्रमोटर) और अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, मुंबई पुलिस ने ऐसे अधिकांश मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए हैं।

अब तक की गई ईडी जांच से पता चला है कि साई समूह की संस्थाओं के प्रमोटरों ने अपने प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजनाओं में फ्लैट/दुकान खरीदारों के धन को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए डायवर्ट करने के लिए विभिन्न कदाचारों का सहारा लिया, जिसके कारण परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाईं और इस प्रकार मुंबई के डी एन नगर, अंधेरी, कांदिवली और गोरेगांव क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं में खरीदारों, पुराने किरायेदारों (मूल सोसायटी सदस्यों) और निवेशकों को 85.75 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

अब तक ईडी ने इस मामले में **35.65 करोड़ रुपये** की संपत्ति कुर्क की है और आगे की जांच जारी है।